



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-44/2015(खण्ड-3)- 847

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/धनबाद वन
प्रमंडल, धनबाद

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग

दिनांक :-22/06/2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का
उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के
अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (रंगीनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों
को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं
सहायता समूह के माध्यम से) का चालू कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल
83.012 लाख (तिरासी लाख एक हजार दो सौ) रुपये मात्र की पूर्व
प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-71/2015-31 व0प0 दिनांक
17.08.2015 एवं आ0आ0संख्या-4/यो0बजट-71/2015-24 अ0व0प0 दिनांक
25.04.2016 एवं संख्या- 4/यो0बजट-71/2015-43 आ0 व0प0 दिनांक-
10.06.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का
उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन
को प्रोत्साहन देने (रंगीनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत
लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से) का चालू कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए
कुल 83.012 लाख (तिरासी लाख एक हजार दो सौ) रुपये मात्र राशि का ऑन-लाईन उप
आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-71/2015-31 व0प0
दिनांक-17.08.2015 एवं आ0आ0संख्या-4/यो0बजट-71/2015-24 अ0व0प0 दिनांक-25.04.2016
एवं संख्या- 4/यो0बजट-71/2015-43 आ0 व0प0 दिनांक-10.06.2016 के अन्तर्गत किया जा
रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख में)
1	2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—09—लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601789090103	21.476
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789090323	60.792
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601789090335	0.744
कुल आवंटित राशि				83.012


अर्थात् कुल 83.012 लाख (तिरासी लाख एक हजार दो सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 83.012 लाख (तिरासी लाख एक हजार दो सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करायेंगे।




7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुकों/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक: 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त की जायेगी।
9. राशि की निकासी संबंधित जिला में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं० 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित तत्कालीन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।



17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित
18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
21. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
22. योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूर्णरूपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।
23. योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रूप से को-ऑपरेटिव विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लेंगे।
25. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्य दर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाइन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।


अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

22/01/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित
18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
21. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
22. योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूर्णरूपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।
23. योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रूप से को-ऑपरेटिव विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लेंगे।
25. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्य दर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,





अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-44/2015(खण्ड-3)- 847

राँची, दिनांक :- 22.06.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


22/6/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक :-01/यो0ब0-44/2015(खण्ड-3)- 847

राँची, दिनांक :- 22.06.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-44/2015(खण्ड-3)- 847

राँची, दिनांक :- 22.06.2016



प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/6/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का त्रि-वर्षीय कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-9300 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 930 लाभुक परिवार (मजदूरी दर : 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2016-17			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	देवघर वन प्रमंडल,	93	9300	5.369	15.198	0.186	20.753
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल,	93	9300	5.369	15.198	0.186	20.753
3	धनबाद वन प्रमंडल,	93	9300	5.369	15.198	0.186	20.753
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,	93	9300	5.369	15.198	0.186	20.753
योग :-		372	37200	21.476	60.792	0.744	83.012


 22/6/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित दर तालिका
रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन पबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना का प्रस्तावित कार्य दर
लाह पोषक प्रजाति पतारा के वृत्तों की संख्या-12500 प्रति प्रणखल (10 वृत्त प्रति लायुक परिवार, मजदूरी दर - रु० 221.61 प्रति मानव दिवस)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61	द्वितीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61	तृतीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61	कुल व्यय	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	समकाल योग	अनुवृत्ति
1	वृत्तों का चिह्निकन	रु० 2.85 प्रति वृत्त	12500 वृत्त	0.000	0.000	0.331	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लायुक परिवार 10 पतारा के वृत्तों का चिह्निकन किया जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृत्तों की कटाई-पटाई (मजदूरी/मानव दिवस)।
2	प्रशिक्षण												
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IARG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष		1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं मोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी											
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृत्तों पर एक कीट		2.219		2.219						2.219	प्रथम वर्ष मजदूरी/मानव दिवस में सेट-1 के 6250 वृत्तों की कटाई-पटाई (600 वृत्त प्रति 10 लायुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृत्तों की कटाई-पटाई की जाएगी।
4	वृत्तों की कटाई-पटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृत्त	6250 वृत्त			2.770		2.770			2.770	5.540	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम प्रति वृत्त; रु० 200 प्रति कि०मी०				0.000	8.750				8.750	8.750	राँची के लिए बीहन लाह की दर 315 रु० प्रति कि०मी० भारतीय प्राकृतिक राल एवं मोद संस्थान, नामकुम, राँची द्वारा निर्धारित की गई है।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृत्त				0.000		0.693			0.693	1.385	अन्य किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अनुपूरक/नकद माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के वृत्तों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अनुपूरक/नकद माह में सेट-2 के वृत्तों पर संचारण किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृत्त (कीटनाशक इत्यादि)				0.000			1.875		1.875	3.750	
8	कीटनाशक छिड़काव हेतु राँकिंग से मशीन	1 मशीन प्रति 10 लायुक परिवार @ 6000रु०					7.500				7.500	7.500	
9	फुन्की का स्टेपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृत्त				0.000		0.554			0.554	1.108	
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.250		0.250	0.250		0.000	0.250	0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/- पर्यवेक्षक प्रति माह	0.300	0.000	0.000	0.300	0.600		0.600	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु० प्रति माह	1.440			1.440	2.880		2.880	12 CRP (12 माह)	2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लस्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेथोमी इत्यादि)		0.000	0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
16	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost		0.186		0.186			0.552		0.552	0.911	
	सकल योग		4.841	4.165	0.510	9.507	7.497	20.427	0.250	28.174	4.727	46.454	

नोट: वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर वन नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर योजना का प्रतिकल्प तैयार किया जाएगा।

(Signature)
अपर प्रधान मुख्य सहायक, रंगिनी लाह उत्पादन, राँची।
(Signature)

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/yb-44/2015/847

दिनांक - 22-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39130	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	536,900.00 रुपये पाँच लाख छत्तीस हजार नौ सैं
2	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39131	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	536,900.00 रुपये पाँच लाख छत्तीस हजार नौ सैं
3	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39132	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	536,900.00 रुपये पाँच लाख छत्तीस हजार नौ सैं

योग:

1,610,700.00

क्रमिक योग:

रुपये सोलह लाख दस हजार सात सौ


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39133	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	536,900.00 रुपये पाँच लाख छत्तीस हजार नौ सैं
5	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39138	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,519,800.00 रुपये पंद्रह लाख उन्नीस हजार आठ सैं
6	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39139	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,519,800.00 रुपये पंद्रह लाख उन्नीस हजार आठ सैं
7	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39140	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,519,800.00 रुपये पंद्रह लाख उन्नीस हजार आठ सैं

योग:

क्रमिक योग:

रुपये सड़सठ लाख सात हजार

5,096,300.00

6,707,000.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39141	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	1,519,800.00 रुपये पंद्रह लाख उन्नीस हजार आठ सैं
9	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	39142	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सैं
10	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	39143	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सैं
11	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	39144	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सैं

योग:

1,575,600.00

क्रमिक योग:


रुपये बयासी लाख बयासी हजार छः सैं

8,282,600.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789090335	39145	HZBFWL009	18,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN	रुपये अठारह हजार छः सैं
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		DIV. FOREST OFFICE	
	03 - प्रशासनिक व्यय		EAST	
	35 - प्रशिक्षण व्यय			



योग:

18,600.00

क्रमिक योग:

रुपये तिरयासी लाख एक हजार दो सौ

8,301,200.00

(Signature)
22/6/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(Signature)
RANCHI